



समक्ष माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

केम्प भोपाल

PBR/निगरानी/होशंगाबाद/भू.रा/2017/4891

आवेदक :-

सब्बूलाल आ. हिम्मतसिंह उर्फ नन्हूसिंह गोंड

निवासी जासरवानी तह. बनखेड़ी, जिला - होशंगाबाद

// वनाम् //

अनावेदकगण :-

1. तरवरसिंह आ. हिम्मतसिंह उर्फ नन्हूसिंह
2. छोटेलाल उर्फ शैरसिंह आ. हिम्मतसिंह उर्फ नन्हूसिंह
3. ज्ञानबाई पुत्री स्वर्गीय लालवीर आ. हिम्मतसिंह उर्फ नन्हूसिंह
4. कलाबाई पुत्री हिम्मतसिंह उर्फ नन्हूसिंह
5. छोटीबाई पुत्री हिम्मतसिंह उर्फ नन्हूसिंह
6. कमलाबाई पत्नि मुन्नालाल
7. राजेश कुमार आ. मुन्नालाल
8. भूरिबाई पुत्री हिम्मतसिंह उर्फ नन्हूसिंह

सभी निवासी देवरी तह. बनखेड़ी जिला - होशंगाबाद

// निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 //

// उत्पन्न //

न्यायालय :- तहसीलदार बनखेड़ी, जिला - होशंगाबाद

राजस्व प्रकरण क्र :- 23अ/27 वर्ष 2014-15 मौजा जासरवानी

पक्षकार - तरवर वगैरा सब्बूलाल

अंतरिम आदेश दिनांक - 28/09/2017 (जिसके द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत की गई आपत्ति को निरस्त कर दिया गया।)

// प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य //

Handwritten signature

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/होशंगबाद/भू.रा./2017/4891

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21/1/18	<p>आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 28-9-17 की सत्यप्रतिलिप का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के समक्ष प्रकरण में स्वत्व संबंधी प्रश्न उठाये जाने पर, तहसीलदार द्वारा स्वत्व का निराकरण कराये जाने हेतु प्रकरण तीन माह के लिए स्थगित किया गया है । तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक की आपत्ति को स्वीकार ही किया गया है, फिर भी उससे आवेदक कैसे परिवेदित है, यह आवेदक द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।</p>	<p>(मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>